95

न्यायालय श्री माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

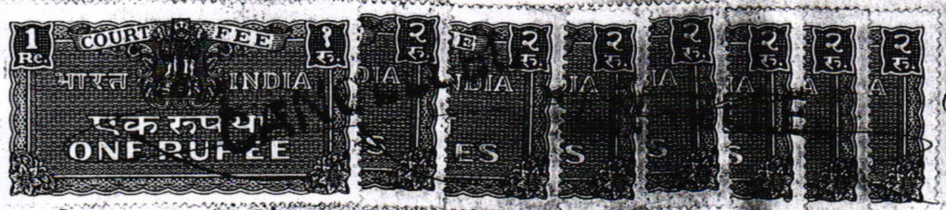

R 399-III/08

जरूप सिंह पटेल तनय श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह पटेल निवासी ग्राम झाझ, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

----------निगरानीकर्ता

S.K. Shrivastava
आज दि0 15-04-08 को प्रस्तुत
अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
15.4.08

बनाम

1. हिंगी पत्नी स्व0 रामसियंबर पटेल उम्र 70 वर्ष पेशा घरूकार्य
2. [illegible] देवी पत्नी स्व0 रघुवेश प्रसाद उम्र 40 वर्ष पेशा घरूकार्य,
3. झल्लू प्रसाद तनय स्व0 रघुवंश प्रसाद पटेल उम्र 20 वर्ष पेशा पढ़ाई,
4. भूपेन्द्र पटेल उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
5. राजेन्द्र पटेल उम्र 48 वर्ष पेशा खेती,
6. मोती लाल पटेल उम्र 38 वर्ष पेशा खेती,
7. सुरेश पटेल उम्र 35 वर्ष पेशा खेती,
8. अनिल पटेल उम्र 30 वर्ष पेशा खेती,
9. सत्य प्रकाश पटेल उम्र 26 वर्ष पेशा खेती

   4 ता 9 के पिता स्व0 रामसियम्बर पटेल सभी निवासी ग्राम झाझ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

10. मुतिनिया पत्नी स्व0 सूर्यप्रताप सिंह उम्र 63 वर्ष पेशा घरूकार्य
11. सन्तोष कुमार पटेल तनय, स्व0 सूर्य प्रताप सिंह उम्र 43 वर्ष पेशा खेती,
12. अजीत कुमार पटेल पिता स्व0 सूर्यप्रताप सिंह उम्र 38 वर्ष, पेशा नौकरी,
13. आनन्द कुमार पटेल पिता स्व0 सूर्य प्रताप सिंह उम्र 35 वर्ष पेशा खेती सभी निवासी ग्राम झाझ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)
14. बतसिया पत्नी स्व0 श्री तीरथ प्रसाद पटेल निवासी झाझ
15. श्री निवास तनय तीरथ प्रसाद पटेल निवासी ग्राम झाझ

14.4.08

16. छोटे लाल तनय श्री तीरथ प्रसाद पटेल निवासी झाझ

17. राजमणि तनय तीरथ प्रसाद पटेल निवासी ग्राम झाझ

18. मोरध्वज तनय तीरथ प्रसाद पटेल निवासी ग्राम झाझ

19. मटुकधारी तनय जगन्नाथ प्रसाद सिंह पटेल निवासी ग्राम झाझ

20. रामगोपाल तनय जगन्नाथ प्रसाद सिंह पटेल निवासी ग्राम झाझ

21. रामसुन्दर पटेल तनय बालकदास पटेल निवासी ग्राम झाझ

22. शम्भू प्रसाद तनय बालक दास पटेल निवासी ग्राम झाझ

23. मु० रामकली पत्नी बेवा रामऔतार पटेल निवासी ग्राम झाझ

24. प्रेमवती पत्नी रामाधार पटेल उम्र 45 वर्ष, पेशा घरकार्य

25. उमेश कुमार पटेल उम्र 28 वर्ष पेशा खेती

26. कुशल पटेल उम्र 24 वर्ष पेशा खेती

27. बब्बू उम्र 18 वर्ष पेशा पढ़ाई

28. आशीष पटेल उम्र 10 वर्ष पेशा पढ़ाई

25 ता 28 के पिता स्व० रामाधार पटेल समस्त निवासी ग्राम झाझ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म०प्र०)

29. सरजू प्रसाद तनय जगतधारी पटेल निवासी ग्राम झाझ

30. नर्मदा प्रसाद तनय जगतधारी पटेल निवासी ग्राम झाझ

31. प्रेमा बाई पत्नी स्व० श्री अर्जुन प्रसाद पटेल निवासी ग्राम झाझ

32. बीरेन्द्र तनय अर्जुन प्रसाद पटेल निवासी ग्राम झाझ

33. रामस्वरूप पटेल तनय श्री सुखदेव पटेल निवासी ग्राम झाझ

34. कमला पटेल तनय सुखदेव पटेल निवासी ग्राम झाझ

35. विजय पटेल उम्र 30 वर्ष पेशा खेती ,

राजरूप सिंह

36. हीरा लाल पटेल उम्र 38 वर्ष पेशा खेती

35, 36 के पिता स्व0 श्री रामकुमार पटेल निवासी ग्राम झाझ

तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

37. लालमणि तनय सुखदेव पटेल निवासी ग्राम झाझ

38. मथुरा तनय सुखदेव पटेल निवासी ग्राम झाझ

39. रामसिया तनय रामऔतार पटेल निवासी ग्राम झाझ

40. राजेन्द्र प्रसाद तनय रामऔतार पटेल निवासी ग्राम झाझ

41. लाल बहादुर तनय रामऔतार पटेल निवासी ग्राम झाझ

42. सावित्री पुत्री रामऔतार पटेल निवासी ग्राम झाझ

43. काली पुत्री रामऔतार पटेल निवासी ग्राम झाझ

नाबालिग क्रमांक 33, 34, 35, 36, 37, 38 द्वारा बली संरक्षिका

मु0 रामकली बेवा रामऔतार पटेल निवासी ग्राम झाझ समस्त व्यक्ति

तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

---------------गैर निगरानी कर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा

संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 124/अपील/01-02

आदेश दिनांक 15-2-2008.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व

संहिता सन् 1959 ई0 ।

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित है:-

2.1.05.2014 सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 399–तीन/2008 निगरानी — जिला सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 127/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क-2 के प्रकरण कमांक 3 अ-27/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 22-2-96 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने प्रकरण कमांक 26/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-9-2001 से अपील इस आधार पर निरस्त कर दी, कि प्रस्तुत अपील समय-सीमा के वाह्य है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 127/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने अपील इस	

आधार पर निरस्त की है क्योंकि सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्र-2 के आदेश दिनांक 22-2-96 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष 31-3-1997 को एक वर्ष से अधिक समय वाद अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के आदेश दिनांक 7-9-01 के अपीलांट की ओर से बताये तथ्यों को आरंभ में इस प्रकार अंकित किया गया है :-

- नियत तारीख पेशी दिनांक 29–1–96 कैंप रामपुर नेकिन दिया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी कैंप में गये और न ही पेशी की कार्यवाही की गई। अपीलांट या अन्य किसी पक्षकार को कोई सम्मन सूचना जानकारी ही दी गई तथा दिनांक 29–1–96 को प्रकरण लिया जाकर बिना पक्षकारों को तलब किये आवेदक रेस्पाण्डेन्ट की मिली भगत करके बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये फर्जी तौर से आदेश कर दिया गया। आदेश पत्रिका में फर्जी उपस्थिति लिख दी गई। भूमि नंबर 1422, 1657, 1640, 1637, 1193, 1614 के 1/4 हिस्से का स्वात्वाधिकारी भूमिस्वामी व काविज अपीलांट है तथा इन भूमियों में रिस्पाण्डेन्ट सूर्यप्रताप न तो सह भूमिस्वामी है न ही उसे बटवार दे सकने का कोई अधिकार है। *

जब अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के आदेश दिनांक 7-9-01 में उक्तानुसार विलम्ब के कारण उल्लेखित है - एक वर्ष कुछ दिन के विलम्ब से प्रस्तुत अपील के विलम्ब को अनुविभागीय अधिकारी ने क्षमा न करने में त्रृटि करना प्रतीत होता है और इन तथ्यों पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 15-2-2008 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की गई है।

1. म.प्र. राज्य विरूद्व गुलाबचंद 1996 रा.नि. 251 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये।
2. म0प्र0राज्य विरूद्व श्रीमती पुष्पादेवी 2006 रा0नि0 156 का दृष्टांत है कि विलम्ब उदारतापूर्वक माफ किया जाना चाहिए और मामला गुणागुण पर विनिश्चत किया जाना चाहिये।
3. जीवनलाल विरूद्व कालिन्द्रीवाई 1990 रा0नि0 92 में बताया गया है कि आदेश काउन्सेल व्दारा नोट किया गया किन्तु पक्षकार को सूचना नहीं दी गई, विलम्ब माफ किये जाने के लिये यह पर्याप्त आधार है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 399–तीन/2008 निगरानी — जिला सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विचाराधीन मामले में भी उक्त प्रकार की परिस्थितियॉ परिलक्षित है अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक वर्ष कुद दिन विलम्ब से प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। यदि अपील/ निगरानी न्यायालय से तदनुसार विलम्ब क्षमा किया जाता है मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये उसी न्यायालय को लौटाया जायेगा, जिस न्यायालय ने प्रथमतः विलम्ब के आधार पर मामला खारिज किया है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 127/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 तथा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट व्दारा प्रकरण कमांक 26/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-9-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट को निर्देश दिये जाते हैं कि यह मामला वर्ष 2001 से प्रचलित है अतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने पर वह हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हेतु अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर 90 दिवस के भीतर करें। सदस्य	